समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 19 August 2026

जातिगत सर्वे पर रोक नहीं, कर्नाटक हाईकोर्ट ने सिद्धारमैया सरकार को दिया बड़ा झटका

Publisher

Published on 26 Sep 2025

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में जातिगत सर्वे को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने **सिद्धारमैया सरकार** की उस कोशिश को चुनौती दी जिसमें लोगों को सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए बाध्य किया जा रहा था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सर्वेक्षण में शामिल होना पूरी तरह **स्वैच्छिक होना चाहिए**, किसी भी नागरिक को इसमें भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

जातिगत सर्वे का महत्व

कर्नाटक में पिछड़े और वंचित वर्गों की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का आंकलन करने के लिए यह सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि किस समुदाय को कितनी सुविधाएँ मिल रही हैं और उन्हें और कैसे बढ़ाया जा सकता है। सरकार का मानना है कि इस सर्वेक्षण से नीति निर्माण में मदद मिलेगी और सामाजिक न्याय की दिशा में सुधार किया जा सकेगा।

हाईकोर्ट ने क्या कहा ?

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सर्वेक्षण **स्वैच्छिक होना चाहिए**। अदालत ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति को जानकारी देने या सर्वेक्षण में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह आदेश सिद्धारमैया सरकार के लिए झटका है क्योंकि उनकी योजना लोगों को भाग लेने के लिए सक्रिय रूप से प्रेरित करने पर आधारित थी।

कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने की बात कही कि यदि कोई नागरिक सर्वेक्षण में भाग लेने से मना करता है, तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सिद्धारमैया सरकार का दृष्टिकोण

सिद्धारमैया सरकार का कहना था कि जातिगत सर्वे से राज्य में पिछड़े वर्गों की सटीक स्थिति सामने आएगी। इसके आधार पर योजनाओं और आरक्षण नीतियों में बदलाव किया जा सकेगा।
हालांकि, हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सर्वेक्षण **स्वैच्छिक और पारदर्शी तरीके** से

आयोजित किया जाए।

सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण

जातिगत सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज के **पिछड़े वर्गों की स्थिति पर सटीक डेटा** उपलब्ध हो। इससे सरकारी योजनाओं को सही ढंग से लागू किया जा सकेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक स्थिति के आंकड़े नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि **सर्वेक्षण मे भाग लेने का अधिकार नागरिकों के हाथ मे होना चाहिए**, ताकि उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गोपनीयता का सम्मान किया जा सके।

राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव

हाईकोर्ट के इस फैसले से कर्नाटक में राजनीतिक और सामाजिक हलचल मची है। कई राजनीतिक दलों ने इसे जनता के अधिकारों की जीत बताया है। वहीं, सरकार को अब अपने **सर्वेक्षण की रणनीति मे बंदलाव** करना पड़ेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला राज्य में नीति निर्माण और प्रशासनिक दृष्टिकोण में संतुलन बनाने में मदद करेगा। यह दर्शाता है कि **कानून और नागरिक अधिकारों का सम्मान सर्वोपरि है।**

हाईकोर्ट की शर्तें और दिशा-निर्देश

1. सर्वेक्षण में भाग लेना **स्वैच्छिक** होगा।
2. किसी को भी जानकारी देने या शामिल होने के लिए **मजबूर नहीं किया जा सकता**।
3. गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
4. सरकारी अधिकारियों को केवल **सहमति देने वाले लोगों का डेटा** एकत्र करने की अनुमति होगी।
5. यदि कोई नागरिक भाग नहीं लेता, तो उसके खिलाफ कोई **कानूनी कार्रवाई** नहीं होगी।

भविष्य की योजनाएँ और दिशा

हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जातिगत सर्वे **सटीक, पारदर्शी और न्यायसंगत** तरीके से किया जाए।
इस डेटा के आधार पर पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए नई योजनाएँ बनाई जा सकती हैं। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण में सुधार होने की उम्मीद है।

कर्नाटक हाईकोर्ट का यह फैसला **सिद्धारमैया सरकार** के जातिगत सर्वे को लेकर बड़ा झटका है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सर्वेक्षण **स्वैच्छिक होना चाहिए** और किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता।
यह निर्णय नागरिक अधिकारों, गोपनीयता और स्वेच्छा के मूल सिद्धांतों का सम्मान करता है।

सर्वेक्षण का उद्देश्य समाज में पिछड़े वर्गों की वास्तविक स्थिति को समझना है, लेकिन इसे करने का तरीका **कानून के अनुरूप और पारदर्शी** होना चाहिए।
अब राज्य सरकार को हाईकोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार सर्वेक्षण आयोजित करना होगा, ताकि सामाजिक और शैक्षणिक नीतियाँ सटीक और प्रभावी हों।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.